सर्वोच्च प्राथमिकता

परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या–5764एलएएस/05–24मिस/एलएएस/2003 दिनांक : सितम्बर 8, 2005

1–प्रधान प्रबन्धक(के0का0/एलेन फारेस्ट)
उ0प्र0 परिवहन निगम,
कानपुर ।
2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम ।
3–समस्त सहायक विधि अधिकारी/स0क्षे0प्र0(का0),
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषयः–उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी विभागीय शिकायत निवारण बैठकों (प्रतितोष) के माध्यम से वादों का निस्तारण कराये जाने के संबंध में

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सेवानिवृत्तिक कार्मिकों द्वारा अपने सेवानिवृत्तिक देयकों के भुगतान हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद संस्थित किये गये हैं। ऐसे वादों में कमी लाये जाने के प्रयोजन से कर्मचारी लोक अदालतों के ही पैटर्न पर "उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी विभागीय शिकायत निवारण बैठकें" आयोजित करने एवं इसकी प्रतिमाह क्षेत्रीय स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने की महती आवश्यकता है। अतः आपके स्तर से निम्नवत् कार्यवाही अपेक्षित है–

1– आप प्रत्येक माह में कम से कम एक बार इस तरह की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करें। इस अनुक्रम में आप सम्बन्धित सेवानिवृत्त/कार्यरत (जैसी भी दशा हो) को निर्धारित तिथि पर अपने समक्ष बुला लें और यह प्रस्ताव दें कि यदि वे व्याज छोड़ने एवं मुकदमा वापस लेने हेतु तैयार हों तो उनके सेवानिवृत्तिक देयकों (यदि देयता विवादित न हो) का एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है। तदनुरूप यदि कर्मचारी ऐसे प्रस्ताव से सहमत हो तो उनका प्रस्ताव सम्पूर्ण पत्रावली सहित तत्काल इस कार्यालय को भेजी जाय।

2– यदि भुगतान की देयता विवादित हो तो ऐसे वादों में अपने स्तर से आप विस्तृत परीक्षण कर लें कि उनका दावा किस सीमा तक सही है और ऐसे प्रकरणों में निगत हित में क्या समझौता किया जाना उचित होगा या नहीं?

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंचम वेतनमान के एरियर के भुगतान के सम्बन्ध में अभी तक नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। अस्तु इसके भुगतान हेतु फिलहाल समझौता नहीं किया जा सकता है।

(उमेश सिन्हा)
प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com